

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 429

दिनांक 2 दिसम्बर 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन योजना

**429 श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी स्कीम) योजना, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना, राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट योजना, बाजार पहुंच पहल (एमएआई), निर्यात हेतु व्यापार अवसरचना योजना (टीआईईएस) आदि जैसी विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के बावजूद देश के अधिकांश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातक अभी भी वित्तीय सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन, संभारतंत्रीय सहायता और विदेशी बाजारों तक पहुंच जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिसूचित 65 निर्यात सुविधा केन्द्रों, 10,642 टैरिफ लाइन कवरेज और विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म का वास्तव में उपयोग करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातक को स्थायी लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी और उनके निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**  
**(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) - व्यापार वित्त, निर्यात प्रमाणन, निर्यात लॉजिस्टिक्स और एकीकृत और संरचित तरीके से बाजारों की देखरेख करने तक पहुंच से संबंधित मामलों में एमएसएमई की सहायता करने के लिए सरकार ने समग्र निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक संरचना के रूप में निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी है।

ईपीएम के तहत, निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए व्यापार वित्त सुविधा पर केंद्रित है और निर्यात दिशा, निर्यात-गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, बाजार-पहुंच मध्यस्थता, लॉजिस्टिक सुविधा और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण उपायों सहित गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

(ख) - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उत्पादों और सेवाओं के निर्यात के लिए एमएसएमई परामर्श, हैंडहोल्डिंग सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं। वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक देश में निर्यात सुविधा केंद्रों द्वारा कुल 11,222 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

अलग से, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने व्यापार समझौतों, देश-विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं, प्रमाणन और अनुपालन मानदंडों, क्रेता-विक्रेता कनेक्ट सेवाओं और वैशिक ई-कॉर्मस मार्गदर्शन पर जानकारी के साथ एमएसएमई सहित निर्यातकों को प्रदान करने के लिए एक डिजिटल इंटरफेस के रूप में ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म (<https://trade.gov.in>) लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म क्षेत्र-विशिष्ट सहायता और ज्ञान संसाधनों के लिए वाणिज्य विभाग, विदेश स्थित भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों और अन्य संबंधित संस्थानों को भी एकीकृत करता है।

(ग) और (घ) - यथा अनुमोदित निर्यात संवर्धन मिशन में इसकी निगरानी संरचना के भाग के रूप में तृतीय-पक्ष के मूल्यांकन के प्रावधान शामिल हैं। इस तरह के मूल्यांकन भारत सरकार के मौजूदा मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे, जिनमें नीति आयोग, व्यय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के बाहरी और स्वतंत्र मूल्यांकन से संबंधित अन्य लागू रूपरेखा निर्देश शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निगरानी, प्रभाव मूल्यांकन और शासन स्थापित मानकों के अनुरूप रहें।

\*\*\*\*\*